संख्या-45/2017/2783/60-2-17-2/3(27)05

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त
गोरखपुर, विन्ध्याचल, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, आजमगढ़, मेरठ, बस्ती, चित्रकूट, लखनऊ, बरेली, देवीपाटन, फैजाबाद, अलीगढ़।

2. जिलाधिकारी,
गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, गाजीपुर, एटा, आजमगढ़, चन्दौली, भदोही, बुलन्दशहर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, बांदा, कन्नौज, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, चित्रकूट, रायबरेली, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, गोण्डा, फैजाबाद, श्रावस्ती, कासगंज, अलीगढ़, बदायूँ, पीलीभीत, बहराईच, सीतापुर, बाराबंकी, संतकबीर नगर, बलरामपुर, कुशीनगर, महराजगंज तथा बस्ती।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनाक 16 अक्टूबर, 2017

विषयः -**कुपोषण की व्यापकता के आधार पर चयनित प्रदेश के 39 जनपदों में 'शबरी संकल्प अभियान' के अन्तर्गत शबरी ¼SHABRI- Sustaining Health & Nutrition Above Red Indicator½ कार्ययोजना के सम्बन्ध में।-**

महोदय,

प्रदेश में मातृ एवं बाल पोषण में सुधार एवं मातृ, शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (एन0एफ0एच0एस0-4) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का हर चैथा कुपोषित बच्चा एवं लगभग हर दूसरी एनीमिक बालिका और गर्भवती महिला उत्तर प्रदेश से हैं।

प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण मातृ एवं शिशु कुपोषण है। कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लाखों बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती है। कुपोषण से प्रभावित जो बच्चे जीवित रहते हैं उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे वे प्रायः बीमार हो जाते है और उनका सम्यक बौद्धिक एवं शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। यह एक जटिल समस्या है और इसकी रोकथाम में अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेन्स एवं समन्वय नितांत आवश्यक है, विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता सम्बन्धी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए कुपोषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है और बाल मृत्यु दर में भी कमी लायी जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कुपोषण के उपर्युक्त परिदृश्य के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में कन्वर्जेन्स स्थापित करते हुए प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु 'शबरी संकल्प अभियान' संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुपोषण की व्यापकता के आधार पर चिन्हित उपर्युक्त वर्णित 39 जनपदों में शबरी ¼**SHABRI-Sustaining Health & Nutrition Above Red Indicator**½ कार्य-गू करने हेतु दिशायोजना ला-योजना का उद्देश्य विभागीय कार्यक्रमों में -निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं। शबरी कार्य कन्वर्जेन्स स्थापित करते हुए जनपद में 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों में कुपोषण की दर में दिसम्बर, 2018 तक 2 प्रतिशत की कमी लाना है।

उपर्युक्त वर्णित 39 जनपदों का चयन नीति आयोग द्वारा कुपोषण की व्यापकता पर आधारित प्रदेश में चिन्हित 29 जनपदों एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की स्निप (ISSNIP) परियोजना में रिअल टाइम मा ॅनीटरिंग हेतु चिन्हित 20 जनपदों में से किया गया है। इन 39 जनपदों की सूची एवं उनमें कुपोषण के स्तर का विवरण संलग्नक-01 पर उपलब्ध है। कुपोषण की व्यापकता के आधार पर उपरोक्तानुसार चयनित 39 जनपदों को ''**शबरी जनपद**'' की संज्ञा दी जायेगी।

कुपोषण का अधिकतम प्रभाव गर्भ में पल रहे भ्रूण पर तथा जीवन के पहले दो वर्षो में पड़ता है। इसके बाद प्रयास करने पर भी कुपोषण को सही करना आसान नहीं होता है। गर्भधारण से लेकर जीवन के पहले दो साल तक की अवधि अर्थात् जीवन के पहले 1000 दिन पोषण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण सुनहरा अवसर प्रदान करते है। यदि इस समय हस्तक्षेप नहीं किया गया तो यह बच्चे अपने वयस्क जीवन में अपूर्णीय क्षति का शिकार हो सकते है और उनके आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हो सकती हैं।

राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में गत वर्षों में वजन दिवस के फलस्वरूप 0 से 5 वर्ष के आयुत लाल श्रेणी के अतिकुपोषित बच्चों की आनलाइन टैकिंग जनपदों वर्ग में चिन्हि- द्वारा करते हुए सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पोषण की दृष्टि से1000 दिनों की स्वर्णिम अवधि की महत्ता के दृष्टिगत शबरी कार्ययोजना के उपर्युक्त वर्-णित उद्देश्य की पूर्ति हेतु 39 चयनित जनपदों में 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के वजन की नियमित आनलाइन टैकिंग करते हुये उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जायेगा ताकि कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना सम्भव हो सके। इस अभियान के अन्तर्गत जहां एक ओर लाभार्थियों को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी वहीं विभाग के आधारभूत ढांचे एवं अनुश्रवण व्यवस्था को भी सुदृढ़ीकृत किया जायेगा।

1. **शबरी ¼SHABRI- Sustaining Health & Nutrition Above Red Indicator**½ **कार्ययोजना - के मुख्य बिन्दु**

1. बेसलाइन निर्धारण हेतु 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का वजन लेने के लिए वजन दिवस का आयोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वजन दिवस के परिणामस्वरूप चिन्हित 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों के वजन की वेबसाइट पर डेटा फीडिंग।

3. 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के वजन की नियमित आनलाइन टैकिंग आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा करते हुये उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित कराना ताकि कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाना सम्भव हो सके।

4. आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण यथाबाल सुलभ शौचालय -, विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था।

5. बचपन, लाडली एवं ममता दिवसों के दिन जनसमुदाय में पोषण सम्बन्धी जागरूकता लाने हेतु सक्रिय प्रयास करना।

6. स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं खाद्य विभाग द्वारा दी जाने वाली पोषण सेवाओं में समन्वय।

7. वी0एच0एन0डी0 के दिन स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों के आयोजन हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना।

8. सेवाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था को इन्फार्मेशन, कम्यूनिकेशन टेक्नालाजी आई)0सी0टी0) आधारित बनाना।

9. उपरोक्तानुसार उपलब्ध डेटा सम्बन्धित विभागों को आनलाइन उपलब्ध कराना। सम्बन्धित विभागों का यह दायित्व होगा कि आनलाइन उपलब्ध इस डेटाबेस के प्रत्येक लाभार्थी को शबरी कार्ययोजना के अन्तर्गत उस विभाग हेतु निर्दिष्ट - यसेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किा जाये एवं उसकी सूचना भी वेबसाइट पर आनलाइन अंकित की जाये।

10. मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय पोषण समिति एवं जिलाधिकारी द्वारा जिला पोषण समिति की बैठक में शबरी संकल्प अभियान की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करना।

2. शबरी ¼SHABRI- Sustaining Health & Nutrition Above Red Indicator½ कार्य-योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवायें

0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के लिए शबरी कार्ययोजना के अन्तर्गत कुपोषण की रोकथाम हेतु संचालित करने वाले विभिन्न विभागों यथास्वास्थ्य -, आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा निम्न सेवाओं की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि जनपद में 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों में कुपोषण की दर में दिसम्बर, 2018 तक 2 प्रतिशत की कमी लायी जा सकेः

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	सेवायें
	स्वास्थ्य
1	गर्भवती महिलाओं का एम0सी0टी0एस0 रजिस्ट्रेशन और मासिक प्रसवपूर्व जांच वजन), हीमोग्लोबिन, पेट की जांच, पेशाब की जांच (
2	एक घण्टे के अंदर नवजात शिशुओं को स्तनपान शुरू कराना सुनिश्चित होना
	आई0सी0डी0एस0
1	आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मात्रा में अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराना
2	आंगनबाड़ी केन्द्र पर 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराना
3	05 वर्ष से कम आयु के अति कुपोषित बच्चों के परिवारों का आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा हर माह कम से कम एक गृह भ्रमण अनिवार्यतः किया जाना
	पंचायती राज
1	खुलेशौच मुक्त गांव बनाना-में-
2	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षित जल की (बोरिंग)उपलब्धता सुनिश्चित कराना
3	ग्राम सभा द्वारा उक्त कार्यवाही की मासिक समीक्षा
	ग्राम्य विकास
1	मनरेगा योजना के अंतर्गत कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवार के सदस्यों जॉब कॉर्ड उपलब्ध कराना
	खाद्य विभाग
1	पी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना
2	उक्त परिवारों को पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मात्रा के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त होना सुनिश्चित कराना

उपर्युक्त विभागों द्वारा अपने से सम्बन्धित शबरी कार्ययोजना के बिन्दुओं की प्राप्ति के लिए आवश्यकतानुसार शासनादेशनिर्देश सभी सम्बन्धित स्तरों हेतु निर्गत किया जायेगा / एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। विभागों द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर लक्षित संख्या के सापेक्ष उपलब्ध की स्थिति प्रत्येक माह राज्यपोषण मिशन को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य पोषण मिशन की कार्यकारी समिति में की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. शबरी कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों के दायित्व-

शबरी कार्य योजना के अन्तर्गत-शासन एवं विभागाध्यक्ष से लेकर फील्ड स्तर तक के दायित्वों का विवरण संलग्नक-02 पर उपलब्ध है। तद्नुसार विभिन्न विभागीय स्तरों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समयसारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस - योजना के अनुसार शासन-कार्य, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः

- शासन द्वारा त्वरित एवं निरन्तर कार्य हेतु दो सप्ताह में शासनादेश निर्गत करना एवं कृत कार्यवाही का अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- शासन एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/निदेशालय द्वारा शबरी कार्य-योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को समयबद्ध रूप से आवश्यक बजट एवं दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना ताकि कार्य-योजना का क्रियान्वयन सुगमता से किया जा सके।
- मण्डलायुक्त द्वारा मण्डलीय पोषण समिति की बैठक में शबरी कार्य-योजना के क्रियान्वयन की प्र्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करना।
- जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के मध्य समन्वय से शबरी कार्य-योजना का क्रियान्वयन कराना एवं जिला पोषण समिति की बैठक में क्रियान्वयन की प्र्रगति की समीक्षा सुशनिश्चित करना।

4. ई-शबरीः शबरी कार्य-योजना के क्रियान्वयन की आनलाइन अनुश्रवण व्यवस्था

1. बेसलाइन निर्धारण

- दिनांक 24 एवं 27 अक्टूबर, 2017 को होने वाले वजन दिवस अभियान में 39 जनपदों में पीली एवं लाल श्रेणी के प्रत्येक कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चे का वजन लेते हुए उसका अंकन किया जायेगा। साथ ही उक्त श्रेणियां के प्रत्येक बच्चे से सम्बन्धित सूचना राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट www.suposhanup.in पर मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन द्वारा फीड कराना सुनिश्चित किया जायेगा। डेटा इन्ट्री के कार्य हेतु राज्य पोषण मिशन द्वारा पूर्व से जिला कार्यक्रम अधिकारी को धनाबंटन किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा उक्त श्रेणियांे के प्रत्येक बच्चे का वजन लेते हुए सम्बन्धित सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट www.suposhanup.in पर वजन की मासिक ट्रैकिंग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. **शबरी कार्य डेटा फीडिंग योजना का क्रियान्वयन एवं-**

- दिनांक 24 एवं 27 अक्टूबर, 2017 को होने वाले वजन दिवस अभियान में 39 जनपदों में पीली एवं लाल श्रेणी के चिन्हित बच्चों की सूची, जो वेबसाइट www.suposhanup.in पर आनलाइन उपलब्ध होगी, को शबरी कार्य-योजना के क्रियान्वयन में संलग्न सहयोगी विभागों यथा- स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को आनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु उक्त विभाग के अधिकारियों को लागिन एवं पासवर्ड दिये जायेगें ताकि उनके द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करने की प्रगति का मासिक अनुश्रवण किया जा सके एवं प्रगति रिपोर्ट राज्य पोषण मिशन को उपलब्ध करायी जा सके।

3. **पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण**

- जिलाधिकारी द्वारा शबरी कार्य-योजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- कुपोषण मुक्त गांव योजना के अन्तर्गत राजस्व गांव गोद लिये हुए जनपदीय अधिकारियों को इस हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाना सुविधाजनक होगा। जिलाधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में क्षेत्र का निर्धारण करते हुए इन नोडल अधिकारियों को अपने गोद लिये हुए गांव के अतिरिक्त आस-पास के अन्य क्षेत्रों में शबरी कार्य-योजना के पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।
- नोडल अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर जिला पोषण समिति बैठक में प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- नोडल अधिकारियों द्वारा उक्त रिपोर्ट राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट www.suposhanup.in पर भी फीड की जायेगी। इस हेतु नोडल अधिकारियों को लागिन एवं पासवर्ड दिये जायेगें।

4. ईशबरी के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने - शासनादेश निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।/त निर्देशस्तर से यथोचि

अतः दिनांक 24 एवं 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित होने वाले वजन दिवस के परिणामस्वरूप चिन्हित पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की बेसलाइन निर्धारण के उपरान्त दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से उक्त निर्देशों के अनुसार शबरी कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।-

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(राजीव कुमार(

मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव/, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज, खाद्य, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायेंपरिवार कल्याण/, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
10. सम्बधित मुख्य विकास अधिकारीमुख्य कार्यकारी अधिकारी /, पोषण मिशन, उ0प्र0।
11. सम्बधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
12. सम्बधित जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
13. सम्बधित जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ0प्र0।
14. सम्बधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
15. राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनीता सी0 मेश्राम(

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुपोषण की व्यपकता के आधार पर चयनित प्रदेश के 39'शबरी जनपदो' का विवरण (संलग्नक–1)

क्र0 सं0	जिला	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत)	गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत
1	मैनपुरी	32.5	29.5
2	अलीगढ़	38.2	60.7
3	एटा	32.2	38.3
4	कासगंज	32.8	28.7
5	फतेहपुर	40.4	37.8
6	कौशाम्बी	52.8	58
7	बदायूं	53.6	53
8	पीलीभीत	44.1	56.2
9	शाहजहांपुर	54.3	58.7
10	बांदा	41.5	61.1
11	चित्रकूट	52.5	60.1
12	हमीरपुर	39.8	50.9
13	बाराबंकी	40.2	34.9
14	फिरोजाबाद	44.9	47.1
15	बहराइच	44	50.3
16	बलरामपुर	43.5	55.3
17	गोण्डा	38.6	54.3
18	श्रावस्ती	39.2	39.9
19	आजमगढ़	33	61.7
20	महराजगंज	37.1	39.4
21	कुशीनगर	35.1	53.8
22	बस्ती	33.3	49.3
23	संतकबीर नगर	36.5	50.1
24	सिद्धार्थनगर	43.5	37.5
25	इटावा	32.6	25.5
26	फर्रूखाबाद	31.4	29.3
27	कन्नौज	32.9	27.8
28	कानपुर देहात	36.1	56
29	हरदोई	39.9	34
30	खीरी	40.8	40.8
31	रायबरेली	41.3	51
32	सीतापुर	48.6	41.7
33	बुलंदशहर	33.8	67.3
34	भदोही	49.1	49.2
35	मिर्जापुर	46.5	52.3
36	चंदौली	34.8	55.4
37	गाजीपुर	31.7	55.2
38	जौनपुर	52.7	59.9
39	गोरखपुर	35.2	45.6

Page 1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

शबरी संकल्प अभियान के अन्तर्गत समेकित शबरी कार्ययोजना

संबंधित विभागों की भूमिका शासन स्तर पर

त्वरित एवं निरन्तर कार्य हेतु शासनादेश निर्गत करना (दो सप्ताह में) एवं निरन्तर अनुश्रवण करना

आई0सी0डी0एस0 ¼निदेशक)

- गतिविधियों हेतु आवश्यक बजट निर्गत करना (वैमासिक रूप से)।
- वजन दिवस का आयोजन माह अक्टूबर में सुनिश्चित करना।
- अनुपूरक पोषाहार की उपलब्धता की निरन्तरता सुनिश्चित करना।
- शोध घाटे, पोषण कार्ड, आयु के अनुसार वजन घाटे तथा अन्य सामग्रियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- उपर्युक्त समस्त का मासिक रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

ग्राम्य विकास ¼आयुक्त)

- मनरेगा के कार्यों हेतु बजट जारी करना (वैमासिक रूप से)।
- चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत करना।
  उपर्युक्त समस्त का मासिक रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित कराना।

पंचायतीराज ¼निदेशक)

- बजट निर्गत करना (वैमासिक रूप से)।
- चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को ऋण से शीघ्र मुक्त कराने के लिये व्यक्तिगत / सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु आदेश निर्गत करना।
- उपर्युक्त समस्त का मासिक रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

खाद्य एवं रसद ¼आयुक्त)

- बजट निर्गत करना (वैमासिक रूप से)।
- चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को नियमित एवं समय से उपरोक्त हेतु राशन की सही मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आदेश निर्गत कराना।
- उपर्युक्त समस्त का मासिक रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य ¼महानिदेशक)

- बजट निर्गत करना (वैमासिक रूप से)।
- आवश्यक दवाओं , माइक्रोन्यूट्रिएन्ट तथा डायनोस्टिक इक्यूपमेंट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना (मासिक रूप से)।
- वजन मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश निर्गत कराना।
- संचालित सी0एच0एन0डी0 सत्रों के सफल आयोजन की मानिटरिंग (मासिक रूप से)।
- उपर्युक्त समस्त का मासिक रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी

- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रियाशील वजन मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना (निरंतर)।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित वजन का कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण तथा ट्रैकिंग सुनिश्चित कराना (मासिक रूप से)।
- कुपोषित श्रेणी के बच्चों की डाटाफीडिंग संबंधित वेबसाइट पर सुनिश्चित करवाना (निरंतर)।
- चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों की सूची समन्वयक विभागों को उपलब्ध कराना (निरंतर)।

उपायुक्त मनरेगा

- जिला कार्यक्रम अधिकारी से कुपोषित बच्चों की सूची समय से प्राप्त करना (मासिक रूप से)।
- कुपोषित बच्चों के परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिलाया जाना सुनिश्चित कराना (निरंतर)।
- संबंधित वेबसाइट पर उक्त की मासिक सूचना फीड अद्यतन सुनिश्चित करना (मासिक रूप से)।

जिला पं0रा0 अधि0

- डी0पी0ओ0 से कुपोषित बच्चों के परिवारों के सम्बन्ध में सूची प्राप्त करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रियाशील शौचालय एवं कुपोषित बच्चों के परिवार के लिये शौचालय के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये गतिविधियां करना।
- उक्त की नियमित/मासिक अपडेशन सूचना फीड करना।

जिला पूर्ति अधि0

- डी0पी0ओ0 से कुपोषित बच्चों के परिवारों के सम्बन्ध में सूची प्राप्त कर इन परिवारों को राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- उपरोक्त राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- संबंधित वेबसाइट पर उक्त मासिक प्रगति फीड करना।

मुख्य चिकित्साधिकारी

- अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं , माइक्रोन्यूट्रिएन्ट तथा डायनोस्टिक इक्यूपमेंट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना (निरंतर)।
- कुपोषित बच्चों को सी0एच0एन0डी0/ सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 तक लाने व ले जाने के लिये आर0बी0एस0के0 वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना (मासिक रूप से)।
- एच0एम0आई0एस0 को प्रत्येक माह अपडेट करना।
- सी0एच0एन0डी0 पर समस्त चिकित्सीय परामर्श एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना (निरंतर)।
- एन0आर0सी0 की पर्यवेक्षण व्यवस्था।

सी0डी0पी0ओ0

- कुपोषित बच्चों का वजन वेबसाइट पर अपडेट सुनिश्चित करना (निरंतर)।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा चिन्हित कुपोषित बच्चों की सूची से बच्चों के वजन की जांच हेतु अनुश्रवण भ्रमण करना (निरंतर)।
- वजन सत्रों के दौरान क्रियाशील वजन मशीन एवं आयु के अनुसार वजन घाटे की उपलब्धता विशेषतः वजन सत्रों में सुनिश्चित करना (निरंतर)।
- टी.एच.आर. का वितरण सुनिश्चित करना।

बी0डी0ओ0@ए0पी0ओ0

- प्रत्येक माह चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को जाॅब कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- कुपोषित बच्चों के परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार प्राप्त होने का सत्यापन करना।
- मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वालों को समय से वेतन प्राप्ति सुनिश्चित करना।

ए0डी0ओ0 पं0

- डी0पी0ओ0 द्वारा उपलब्ध सूची अनुसार कुपोषित बच्चों के समस्त चिन्हित परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण कराना ।
- शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी सोशल बिहेवियर चेंज कम्यूनिकेशन गतिविधि प्रधान तथा आई0सी0डी0एस0/स्वास्थ्य के कार्मिकों के सहयोग से कराना।

निरीक्षक आपूर्ति

- एन0एफ0एस0ए0 के अनुसार चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक माह राशन उपलब्ध कराना।

प्रभारी चिकित्साधिकारी

- डी0एच0एन0डी0 माइक्रोन्यूट्रिएन्ट एच0एम0 से तैयार कराना।
- डी0एच0एन0डी0 सेशन में ए0एन0एम0 की उपस्थिति समस्त आवश्यक दवाओं , उपकरणों आदि के साथ सुनिश्चित करना (निरंतर)।
- स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं , माइक्रोन्यूट्रिएन्ट तथा डायनोस्टिक इक्यूपमेंट की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- डी0एच0एन0डी0 सत्रों में अतिकुपोषित बच्चों के चिन्हिकरण हेतु आवश्यक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना (प्रत्येक माह)।

सुपरवाइजर

- नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का खुलना, एवं सेवाओं (पूरक पोषाहार/ पी-स्कूल /परामर्श /वृद्धि निगरानी) को लाभार्थियों को प्रदान करने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के सही चिन्हीकरण हेतु पर्यवेक्षण करना।
- अपने क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के वजन की स्थिति की जानकारी लेना तथा डेटा फीडिंग हेतु सी0डी0पी0ओ0 को सूची देना।

पंचायत सेक्रेटरी

- कुपोषित बच्चों के परिवारों के सदस्य के लिये कार्य सृजित करना।
- कुपोषित बच्चों के परिवारों के सदस्य को जाॅब कार्ड प्राप्त करने में सहयोग करना।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री

- 0 से 05 वर्ष तक के सभी बच्चों का नियमित वजन करना ताकि कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण समय पर हो सके।
- कुपोषित बच्चों की सूची आशा को उपलब्ध कराना।
- वी.एच.एन.डी. सत्रों में कुपोषित बच्चों के वजन को पुनः जांचने हेतु तथा एम.यू.ओ.सी. से मापने हेतु आशा को सहयोग करना।
- सभी बच्चों/गर्भवती महिलायें/धात्री महिलाओं को दिनांक 05, 15 एवं 25वी.एच.एन.डी. सत्रों में पोषाहार का वितरण करना।
- व्यक्तिगत शोध घाटे/सामुदायिक शोध घाटे तथा अन्य अभिलेखों को तैयार एवं सुरक्षित रखना।

रोजगार सेवक

- कुपोषित बच्चों के परिवार के सदस्य को मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण एवं 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।

पंचायत सेक्रेटरी

- समस्त चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों को शौचालय उपलब्धता को प्रमाणित करना।
- चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों में शौचालय का निर्माण।
- शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी सोशल बिहेवियर चेंज कम्यूनिकेशन गतिविधि प्रधान तथा आई0सी0डी0एस0/स्वास्थ्य के कार्मिकों के सहयोग से कराना।

ग्राम प्रधान

- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर क्रियाशील शौचालय तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- एन0एम0 के समन्वय से बी एच0एन0सी0 के फण्ड का उपयोग सुनिश्चित करना।
- समुदाय के विकास हेतु पोषण की महत्ता को समझना तथा इस हेतु फ्लैक्सी फण्ड का उपयोग करना।

राशन कोटेदार

- आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत समस्त चिन्हित कुपोषित बच्चों के परिवारों के अंतर्गत राशन कार्डधारक परिवारों को प्रतिमाह पर्याप्त राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ए0एन0एम0

- नियमित सी0एच0एन0डी0 दिवस पर उपलब्ध गर्भवती महिलाओं / धात्री माताओं / किशोरी बालिकाओं/बच्चों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- सभी चिन्हित कुपोषित बच्चों का मोबिलाइजेशन एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा वजन लेना सुनिश्चित कराना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में सम्बन्धित अतिकुपोषित बच्चों को एम0यू0ए0सी0 टेप के माध्यम से आशा द्वारा प्रमाणित करते हुये पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 तथा एन0आर0सी0 संदर्भित करने को सुनिश्चित करना।

आशा

- कुपोषित बच्चों को वी0एच0एन0डी0 सत्र में लाना।
- कुपोषित बच्चों को एम0यू0ए0सी0 टेप से जांच करना।
- SAM बच्चों का सन्दर्भन एवं एन0आर0सी0 में भर्ती सुनिश्चित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।